"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 — चैत्र 8, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 (चैत्र 8, 1938)

क्रमांक-3811/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 237 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 237 में,-

(क) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3-क) जहां उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उल्लिखित प्रयोजनों के लिये रखी गई भूमि, किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या खनन परियोजना के लिये चिन्हांकित क्षेत्र के भीतर पायी जाती है, वहां कलेक्टर ऐसी भूमि को, उपरोक्त प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा, किन्तु ऐसा व्यपवर्तन तभी किया जा सकेगा जब उसी ग्राम के भीतर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए समतुल्य भूमि उपलब्ध करा दी जाये."

(ख) उप-धारा (4) में, शब्द "समान क्षेत्र की वैकल्पिक भूमि" के पश्चात्, शब्द "उसी ग्राम में" अंत:स्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 237 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लखित प्रयोजनों के लिये आरक्षित भूमि, राज्य में स्थापित औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं खनन परियोजनाओं के बीच में आ जाता है अत: इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह प्रस्तावित किया गया है कि उक्त खण्ड के अधीन आरक्षित किसी भूमि को, केवल उसी ग्राम में वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था होने के पश्चात् ही, व्यपवर्तित किया जा सकेगा.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 237 के प्रावधान में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 22 मार्च, 2016

प्रेम प्रकाश पाण्डेय
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 की उप-धारा (3) एवं उप-धारा (4) के संबंध में सुसंगत उद्धरण-

धारा 237. निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना. -

(3) इस संहिता के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि को सुरक्षित रखने के पश्चात् उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित उस ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत के आधिक्य की भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए, यथा कृषि, आबादी, आवासीय परियोजनाएं, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक गोदाम, विद्युत प्रणाली, गौशाला, घटकारों द्वारा मिट्टी का उत्खनन, गौण खनिज या अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए, के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा.

(4) जब उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि का व्यपवर्तन, राज्य शासन की अथवा राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य हो जाए, किन्तु जो उपधारा (3) में सम्मिलित नहीं है, तब कलेक्टर, स्वयं को संतुष्ट कर लेने के उपरांत कि ऐसे निस्तार अधिकारों की पूर्ति हेतु समान क्षेत्र की वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी गई है, भूमि के ऐसे प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन का युक्ति-युक्त आदेश पारित कर सकेगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.